संख्या-1596/एक-10-2023-33(04)/2023

प्रेषक,

जी0 एस0 नवीन कुमार,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
गृह विभाग,
उ0प्र0 शासन।

राजस्व अनुभाग-10 लखनऊः दिनांकः 03/11/2023

**विषयः- अग्निशमन तथा आपात सेवा, उ0प्र0 लखनऊ को आपदाओं के प्रभाव के न्यूनीकरण विविध उपकरणों के क्रय किये जाने हेतु राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि से धनावंटन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महानिदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-एफएस(टी)-231-2022 दिनांक- 16.10.2023 **(छायाप्रति संलग्न)** का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा 135 इमरजेन्सी फायर इंजन मोटर बाइक के जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय किये जाने हेतु एल-1 धनराशि रू0 14,82,30,000/- (रू0 चौदह करोड़ बयासी लाख तीस हजार मात्र) एवं 03 आर्टिकुलिंग वाटर टावर हेतु एल-1 धनराशि रू0 26,64,00,000/-(रू0 छब्बीस करोड़ चौसठ लाख मात्र) का क्रयानुमोदन प्रदान किये जाने हेतु एवं 18 अदद रेस्क्यू टूल किट सेट का जेम पोर्टल पर एल-1 धनराशि रू0 4,99,50,000/- (रू0 चार करोड़ निन्यानबे लाख पचास हजार मात्र) के सापेक्ष क्रय हेतु राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि से कुल अनुमोदित धनराशि रू0 96.00 करोड़ में से ड्रोन के सापेक्ष स्वीकृत धनराशि रू0 11.25 करोड़ (रू0 ग्यारह करोड़ पच्चीस लाख मात्र) को छोड़कर अवमुक्त किये जाने हेतु अवशेष धनराशि रू0 36.75 करोड़ (रू0 छत्तीस करोड पचहत्तर लाख मात्र) को गृह विभाग के निवर्तन पर अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि राज्य कार्यकारिणी समिति की दिनांक-17.05.2023 को सम्पन्न बैठक में लिए गए निर्णयानुसार अग्निशमन तथा आपात सेवा, उ0प्र0, लखनऊ को आपदाओं के प्रभाव के न्यूनीकरण हेतु विविध उपकरणों को क्रय किये जाने हेतु रू0 96,00,00,000/- (रूपये छियान्बे करोड़ मात्र) की धनराशि राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि से स्वीकृत किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया है, जिसके क्रम में शासन के पत्र संख्या- 770/एक-10-2023-33(04)/2023 द्वारा प्रथम किस्त के रूप में रू0 48.00 करोड़ की धनराशि राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि से वित्तीय वर्ष-2023-24 में कतिपय शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रमुख सचिव, गृह विभाग के निवर्तन पर रखते हुए उक्त धनराशि अग्निशमन तथा आपात सेवा उ0प्र0 लखनऊ को अविलम्ब अवमुक्त किये जाने की अपेक्षा की गयी।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक-17.05.2023 में लिये गये निर्णयानुसार तथा महानिदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा उक्त उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि से कुल अनुमोदित धनराशि रू0 96.00 करोड़ में से ड्रोन के सापेक्ष स्वीकृत धनराशि रू0 11.25 करोड़ (रू0 ग्यारह करोड़ पच्चीस लाख मात्र) को छोड़कर अवशेष रू0 36.75 करोड़ (रू0 छत्तीस करोड पचहत्तर लाख मात्र) की धनराशि को द्वितीय किश्त के रूप में राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि से वित्तीय वर्ष 2023-24 में निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रमुख सचिव, गृह विभाग के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

<u>नियम व शर्तें / प्रतिबंधों</u>

1. अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष सम्पन्न कराए जाने वाला कार्य राहत आयुक्त संगठन से समन्वय स्थापित कर नियमानुसार कराया जायेगा।
2. स्वीकृति धनराशि का उपभोग वित्तीय नियमों के अनुसार तथा वित्तीय हस्त-पुस्तिका/बजट मैनुअल के अनुसार किया जायेगा।
3. राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि की उक्त धनराशि का उपयोग भारत सरकार के पत्र सं0-33-02/2020-NDM-I , दिनांक-14.01.2022 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।
4. समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक-31.03.2024 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है तो नियमानुसार दिनांक-31.03.2024 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।
5. जिस मद में धनराशि स्वीकृति की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा।
6. उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्त-पुस्तिका खण्ड-5, भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जायेगा।
7. व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।
8. ई-टेण्डरिंग/जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।
9. उक्त धनराशि से क्रय किये गये उपकरणों के रख रखाव एवं पी0ओ0एल0 संबंधी व्यय विभागीय बजट से किया जायेगा।
10. अनुमोदित कार्य योजना के अन्तर्गत क्रय किये जाने वाले उपकरणों/सामग्रियों एक साथ चालू वित्तीय वर्ष में अनिवार्य रूप से किया जायेगा।
11. भारत सरकार द्वारा राज्य आपदा न्यूनीकरण के संबंध में समय-समय पर गृह मंत्रालय एवं एनडीएमए द्वारा जो भी दिशा-निर्देश/गाइड लाईन निर्गत किये गये है अथवा किये जायेंगे के अनुसार उक्त धनराशि का उपभोग की कार्यवाही समयबद्धरूप से सुनिश्चित की जायेगी।
12. प्रश्नगत स्वीकृत की जाने वाली धनराशि को समयबद्ध रूप से पूर्णरूप में व्यय किये जाने हेतु नोडल अधिकारी नामित करते हुए उनकी जिम्मेदारी इस संबंध में सुनिश्चित की जाय ताकि

राज्य आपदा न्यूनीकरण से स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपभोग समयबद्ध रूप से हो सके और नोडल अधिकारी को राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि से स्वीकृत धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र राहत आयुक्त कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय **रूपये 36,75,00,000/- (रूपये छत्तीस करोड पचहत्तर लाख मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष- 2023-2024 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-051 लेखा शीर्षक 4250-101-05-24 से वृहत निर्माण कार्य मद में स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फण्ड से व्यय के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/ बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17-मार्च 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

**संलग्नकः-यथोक्त**

भवदीय,

(जी0 एस0 नवीन कुमार)
सचिव।

**संख्याः-1596(1)/एक-10-2023-33(04)/2023 तद्दिनांक**

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3- महानिदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा, उ0प्र0।
4- अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय,उ0 प्र0।
5- पुलिस उपमहानिरीक्षक, अग्निशमन तथा आपात सेवा, मुख्यालय, उ0प्र0, लखनऊ।
6- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी बजट आवंटन(ई-बजट), राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
7- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण, लखनऊ।
8- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5।
10- राहत आयुक्त कार्यालय, उ0प्र0, लखनऊ।
11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)
अनु सचिव।

gned by जी0 एस0 नवीन
ार
te: 03-11-2023 10:55:08
ason: Approved

# Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2023-2024
आवंटन दिनांक-09/11/2023

**प्रेषण संख्या:-** 1596
**आवंटन आदेश संख्या:-** 001-1596
**अनुदान संख्या:-** 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आवंटन)
**लेखाशीर्षक:-** 4250 - अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय(आयोजनेत्तर-मतदेय)

101 - प्राकृतिक आपदाएं
05 - स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फण्ड से व्यय

**(धनराशि रु. में)**

| S.No. | अधिकारी/जनपद का नाम | | 24-वृहत् निर्माण कार्य | योग |
|---|---|---|---|---|
| 1 | जवाहर भवन, लखनऊ-2530-अपर पुलिस महानिदेशक - फायर सर्विस , लखनऊ-01-- | वर्तमान<br>प्रगामी | 367500000<br>847500000 | 367500000<br>847500000 |
| | **योग** | वर्तमान<br>प्रगामी | 367500000<br>847500000 | 367500000<br>847500000 |

**महायोग-** (वर्तमान आवंटन):- रूपया छत्तीस करोड़ पचहत्तर लाख
**महायोग-** (प्रगामी आवंटन):- रूपया चौरासी करोड़ पचहत्तर लाख

(जान्हवी मोहन)
**वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी**
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त संगठन
उ०प्र० शासन